न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 46/2018/दावा

1. गणेशराम जाट पुत्र हरजीराम उर्फ अर्जुनराम
2. सत्येन्द्र सिंह पुत्र हरजीराम उर्फ अर्जुनराम
3. पतासीदेवी पुत्री हरजीराम उर्फ अर्जुनराम
4. केशरदेवी पत्नि स्व0 हरजीराम उर्फ अर्जुनराम

समस्त जाति जाट निवासीगण अमानीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

--वादीगण

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रामस्वरूप पुत्र हरजीराम उर्फ अर्जुनराम जाति जाट निवासी निवासी अमानीपुरा तह0
   दांतारामगढ जिला सीकर
3. एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति-

1. श्री शिवपाल सिंह, वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

नि र्ण य **दिनांक — 18.06.2019**

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 70 ता 80, 83, 95, 96, 97, 99, 100 किता 17 कुल रकबा 10.33 हैक्टेयर जिसमें वादीगण के पिता के नाम सें खातेदारी हिस्सा 1/5 में सें 1/4 अर्थात सम्पूर्ण भूमियों में सें 1/20 हक हिस्सा एवं ख0 नं0 98 किता 1 रकबा 0.12 है0 तथा भूमि ख0नं0 319, 320, 389 किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 जिसमें वादीगण के पिता के नाम सें खातेदारी हिस्सा 1/4 में सें 1/5 अर्थात सम्पूर्ण में सें 1/20 हक हिस्सा तथा ख0 नं0 193 ता 200, 200/552, 202, 203, 204, 206 ता 210 कुल किता 17 कुल रकबा 6.27 है0 वाके ग्राम अमानीपुरा पटवार हल्का मेई में वादीगण के पिता के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड में 1/5 हिस्से में सें 1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण में सें 1/20 हिस्सा दर्ज है तथा खसरा नम्बर 69, 69/546, 102, 103, 104, 104/547, 105, 318, 321, 322 ता 328, 337 ता 342 कुल किता 22 कुल रकबा 16.21

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर वाके ग्राम अमानीपुरा प0ह0 मेई में वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 2/5 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/10 हक हिस्सा दर्ज है तथा खसरा नम्बर 604/2 किता 1 रकबा 4.38 है0 एवं खसरा नम्बर 605/1 रकबा 0.57 है0 भूमि वाके ग्राम प्रेमपुरा(डांसरोली) पटवार हल्का डांसरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादीगण के पिता के नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के पिता को दो नामों हरजीराम एवं अर्जुनराम के नाम सें पुकारा जाता रहा है। विवादित भूमियों की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम जाति जाट सा0देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है तथा अन्य रिकॉर्ड वोटर लिस्ट, निर्वाचन–पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड आदि में अर्जुनराम पुत्र नाथूराम जाति जाट अंकित है। ग्राम पंचायत मेई द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि हरजीराम तथा अर्जुनराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादीगण के पिता फौत होने पर वादीगण द्वारा अपने एवं प्रतिवादी सं0 2 के नाम विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर तह0 दांतारामगढ द्वारा वादग्रस्त भूमियों सें संबंधित पटवारी हल्का डांसरोली एवं मेई सें रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्रार्थी को सूचित किया गया कि दुरूस्ती हेतु वाद पेश करना पडेगा। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के पिता का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम जाति जाट सा0देह खातेदार के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी अमानीपुरा तह0 दांतारामगढ किये जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती का आदेश प्रदान किया जावे तथा इस अमल की उद्घोषणा की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र नाथूराम किया जाना न्यायोचित है अतः उक्त दुरूस्तीकरण किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार हरजीराम पुत्र नाथूराम तथा अर्जुनराम पुत्र नाथूराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता के नाम सें खातेदारी भूमियों में इनके हिस्से की भूमियों में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण के पिता का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम जाति जाट सा0देह के स्थान पर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर हरजीराम उर्फ अर्जुनराम पुत्र नाथूराम जाति

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जाट सा0देह दर्ज करने के आदेश दिया जाता है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner